न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 76/2018

अनवान : –

1. मंगतुराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. प्रेमा बेवा अमरसिंह जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. महेन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. मैनेजर आरएमजीबी बैंक शाखा टोपरिया तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**
3. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 11/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडीए के खाता स0 49/45 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि, रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता स0 27/29 की कुल 1.120 हैक्ट व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 53/113 की कुल 7.2860 हैक्ट व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 38/32 की कुल 1.2400 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 72/77 की कुल 0.253 हैक्ट सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल व गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के मध्य उक्त भूमि बाबत बंटवारा किया गया है एवं मुताबिक बंटवारा चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए के प0न0 243/401 के किला न0 7 ता 10 व 12 ता 14 की 7 बीघा, चक 20 आरडब्ल्यूडी के प0न0 240/398 के किला न0 5, 6 की 2 बीघा व प0न0 241/398 के किला न0 1 व 10 की 2 बीघा व टोपरिया बारानी की कुल 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से दक्षिण पूर्वी की 7 बीघा कुल 18 बीघा भूमि गैरसायल स0 1 के पास रहेगी व चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए कें प0न0 243/401 के किला न0 11 व 17 ता 20 5 बीघा प0न0 234/401 के किला न0 2, 9 की 2 बीघा रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के प0न0 243/397 के किला न0 14 ता 17 की 4 बीघा 18 बिस्वा भूमि व टोपरिया बारानी की कुल 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से दक्षिण दिशा की 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि सायल के पास रहेगी व चक न0 20 आरडब्ल्यूडी ए के प0न0 243/401 के किला न0 22 ता 25 की 4 बीघा व प0न0 234/402 के किला न0 3, 8, 13 की 3 बीघा व टोपरिया बारानी भाखर चक न0 9 की 4 बीघा उत्तरी पूर्वी दिशा की 6 बीघा भूमि व रोही मौजा चक न0 20 आरडब्यूडी के प0न0 241/403 के किला न0 1 की 1 बीघा कुल 18 बीघा भूमि गैरसायल स0 3 व 4 तथा रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा 20 आरडब्ल्यूडी ए के प0न0 234/402 के किला 0 7, 13, 14 व 4–5 की 5 बीघा व टोपरिया बारानी की पूर्वी दिशा की 6 बीघा कुल 11 बीघा भूमि गैरसायल स0 2 के पास रहेगी एवं मंगतुराम के किला न0 17 मे 2 बिस्वा व प्रेमा व महेन्द्रसिंह द्वारा किला न0 25 में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा रास्ता मे कोई भी पक्षकार किसी को राकेगा नही का समझौता हुआ। उक्त पारिवारिक राजीनामा वाद के पक्षकारान द्वारा तहरीर व हस्ताक्षरित किया गया जो भारतीय साक्ष्या अधिनियम की धारा 115 के अनुसार वाद के पक्षकारान उक्त राजीनामा से स्टोपल्ड है।

सायल व गैरसायलान का उक्त भूमि की सींव व डोल को लेकर विवाद रहता है तथा गैरसायलान बाहमी राजीनामा से गुरेज कर रहे है तथा कब्जा काश्त व सीवं डोल को मिस्मार करने पर आमादा है। अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भमि का मुताबिक समझौता खाता लगान अलग न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडीए के खाता स0 49/45 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि, रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता स0 27/29 की कुल 1.120 हैक्ट व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 53/113 की कुल 7.2860 हैक्ट व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 38/32 की कुल 1.2400 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 72/77 की कुल 0.253 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व नीव–सीव कायम रखे व नीव सीव में मदाखलत बैजा न करे।

अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि भूमि का बंटवारा हुआ था लेकिन सायल द्वारा उक्त बंटवारा की पालना नही कि गई है अदालत को गुमराह कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा ली है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त बाबत उपरोक्तानुसार राजीनामा हुआ था लेकिन अब सायल व गैरसायलान का उक्त भूमि की सींव व डोल को लेकर विवाद रहता है तथा गैरसायलान बाहमी राजीनामा से गुरेज कर रहे है तथा कब्जा काश्त व सीवं डोल को मिस्मार करने पर आमादा है एवं सायल के कब्जा काश्त में नाजायज कब्ब्जा करना चाहते है अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भमि का मुताबिक समझौता खाता लगान अलग न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि भूमि का बंटवारा हुआ था लेकिन सायल द्वारा उक्त बंटवारा की पालना नही कि गई है अदालत को गुमराह कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा ली है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:34 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक न0 20 आरडब्ल्यूडीए के खाता स0 49/45 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि, रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी के खाता स0 27/29 की कुल 1.120 हैक्ट व रोही मौजा टोपरिया बारानी तहसील नोहर के खाता स0 53/113 की कुल 7.2860 हैक्ट व रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 38/32 की कुल 1.2400 हैक्ट भूमि व रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूबी के खाता स0 72/77 की कुल 0.253 हैक्ट सायल व गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि बाबत हम पक्षकारान का राजीनामा हुआ था एवं मुताबिक राजीनामा ही सभी पक्षकारान काबिज है एवं उक्त राजीनामा अनुसार ही खाता व लगान अलग किया जावे प्रार्थी के उक्त कथन मूल वाद में तय होने है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि अगर अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदाखलत बैजा करेंगे एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न होंगी जबके अप्रार्थीगण का कथन है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना उचित नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के या प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के कब्जा काश्त व सीवं, डोल को मिस्मार करने से अपूर्णीय क्षति प्रार्थी/अप्रार्थीगण दोनो को होगी इसलिए उभयपक्षो को एक दुसरे के कब्जा काश्त में दखल हेतु को पाबन्द किया जाना उचित है जबकि रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित नही है क्योंकि विवाद सीव डोल व कब्जा काश्त का है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीग को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूंर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 12.10.2018 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है एवं उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि एक दुसरे के कब्जा काश्त में मदाखत बैजा न करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 10:47:34 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर